

सं०सं० : 9/नामांकन -02-05/17 - 281(9)

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

प्रेषक:

डॉ० नितिन कुलकर्णी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
सिरखा टोली, तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

राँची, दिनांक- 8/7/19

विषय: राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में NEET(UG) - 2019 परीक्षाफल के आधार पर सत्र-2019-20 में दिव्यांग जनों के लिये आरक्षित सीटों पर नामांकन के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक- 433 दिनांक- 05.07.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में NEET(UG) - 2019 परीक्षाफल के आधार पर सत्र- 2019-20 में दिव्यांग जनों के लिये आरक्षित सीटों पर नामांकन के संबंध में BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA द्वारा निर्गत संशोधित अधिसूचना सं०-34 (41)/218-मेड/170045 दिनांक- 04.02.2019 (छयाप्रति संलग्न) के परिशिष्ट- "ज" में उल्लेखित "एम०बी०बी०एस० में दाखिले के संबंध में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अर्न्तगत विशिष्ट विकलांगताओं वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशा निर्देश" में अंकित प्रावधान के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डॉ० नितिन कुलकर्णी)
सरकार के सचिव

Twar:



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

No. 51]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिकरण में शासी बोर्ड

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

सं.भा.आ.प.-34(41)/2018-मेड./170045.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में पुनः संशोधन करने के लिए, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः-

- (i) इन विनियमों को "स्नातक चिकित्सा शिक्षा (संशोधन) विनियमावली, 2019" कहा जाएगा।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 1997" में "चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिला-पात्रता मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 4(3) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

एमडीडीएम पाठ्यक्रम में दाखिले का पात्र होने के लिए किसी अभ्यर्थी को भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, जीव-विज्ञान (या वनस्पति-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/ जीव-प्रौद्योगिकी तथा अंग्रेजी विषयों में अलग-अलग उत्तीर्ण होना चाहिए और विनियम 4 के खंड (2) में यथा उल्लिखित अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान (या वनस्पति-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए और इसके अलावा एमडीडीएम पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए "राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा" की मेरिट सूची में आना चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों में संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान (या वनस्पति-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान)/ जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक 50% के बजाय 40% होंगे। विकलांग व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विशिष्ट विकलांगता वाले अभ्यर्थियों के संबंध में अर्हक परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान/ (या वनस्पति-विज्ञान और प्राणी-विज्ञान) जीव प्रौद्योगिकी में कुल मिलाकर न्यूनतम अंक 50% के बजाय 45% होंगे।

वर्तते यह कि किसी ऐसे अभ्यर्थी, जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठता है, जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है, को राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति अनंतिम रूप से दी जा सकती है और एमडीडीएम पाठ्यक्रम में दाखिले के

लिए चयन हो जाने की स्थिति में उसे उस पाठ्यक्रम में दाखिल नहीं किया जाएगा, जब तक वह विनियम 4 के अंतर्गत पात्रता मापदंड पूरा नहीं कर लेता।

सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में, वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5% सीटें, 'राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा' की मेरिट सूची के आधार पर, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार वैचमार्क विकलांगताओं वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इन उद्देश्य के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में दी गई "विशिष्ट विकलांगता" परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है और मेडिसिन पाठ्यक्रम में पढ़ने हेतु विकलांगता वाले अभ्यर्थियों की पात्रता, परिशिष्ट 'अ' के अनुसार होगी। यदि किसी श्रेणी विशेष में, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें, अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण खाली रह जाती हैं, तो इन सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल कर लिया जाएगा।

3. "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली 1997" में परिशिष्ट 'ब' की सातवीं पंक्ति के पश्चात निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाएगी:

क्र. सं.	दाखिले का कार्यक्रम	केन्द्रीय काउंसिलिंग		राज्य काउंसिलिंग
		अखिल भारतीय वोट	मानित + सी1	
7क.	शैक्षिक सत्र का प्रारंभण		1 अगस्त	

डॉ. संजय शीवान्तव, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/अना/525/18]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "स्नातक चिकित्सा शिक्षा पर विनियमावली 1997" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 4 मार्च, 1997 की अधिमूचना के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 29.05.1999, 02.07.2002, 30.09.2003, 16.10.2003, 01.03.2004, 20.10.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 25.03.2009, 19.04.2010, 07.10.2010, 21.12.2010, 15.02.2012, 29.12.2015, 05.08.2016, 21.09.2016, 10.03.2017, 04.07.2017, 23.01.2018, 06.02.2018 और 21.05.2018 की अधिमूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

परिशिष्ट - "ज"

एमडीसीएस में दाखिले के संबंध में 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

टिप्पणी:

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", 15 जून, 2017 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) मशरूकण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिमूचित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।
2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, 5 जनवरी, 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, [विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) मशरूकण विभाग] द्वारा भारत के राजपत्र में अधिमूचित "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आकंश के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आरंभ होगी।
3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (वैचमार्क विकलांगता) होनी चाहिए।
4. "आधिकारिक रूप से विकलांग" (श.वि.) शब्द के बजाय 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का उपयोग किया जाएगा।

क्र.सं.	विकलांगता प्रकार	विकलांगताओं का प्रकार	चिनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति होता के लिए पात्र नहीं	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति होता के लिए पात्र	मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं
1.	आंशिक विकलांगता	क. चिनिर्दिष्ट विकलांगताओं सहित गतिक विकलांगता (क में च)	क. कुण्डलीय में सूजन व्यक्ति*	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ख. प्रमत्त/अप्यक्षमता*			
			ग. शोथ/घात			
			घ. मानवैय डिम्बुगी			
			ङ. तेजाब के प्रहार से ीकित			
			च. अन्य*** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि			
<p>* कुण्डलीय, हाथों में सूजन की क्षति, अंगविच्छेद और आँखों की अंतर्गन्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तदनुकूली अनुशंसा देयी जानी चाहिए।</p> <p>** दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुकूली अनुशंसा देयी जानी चाहिए।</p> <p>*** चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।</p>						
ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता (अर्थात् श्रेणी III और इससे ऊपर)		
	ख. निम्न दृष्टि	(अर्थात् श्रेणी '0(10%)', 'I (20%)' और 'II (30%)')				
ग. श्रवण क्षति@	क. बहरा	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता		
	ख. कम सुनाई देना					
<p>(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप/ मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के बँचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाय।</p> <p>@ 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक चिकित्सा शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बँचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाय। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्तर होना चाहिए।</p>						
घ. वाक् पात्र भाषा विकलांगता S	आर्गनिक/तंत्रिय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता		

				<p>S यह प्रस्ताव दिया जाना है कि एमटीडीएन पाठ्यक्रम में पढ़ने का पात्र होने के लिए दाखिले हेतु वाक्य वृद्धिमत्ता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। इस स्कोर से अधिक वाले व्यक्ति एमटीडीएन पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>40% तक वाचावात लब्धि वाले व्यक्ति एमटीडीएन पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते हैं परन्तु इसके अधिक वेतन को एमटीडीएन पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होने और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।</p>	
2.	बौद्धिक विकलांगता		<p>क. विशिष्ट जन्मजात विकलांगताएं (दौध्यात्मक विकलांगता, डिन्नेक्मिया डिन्केलकुलिया डिन्-प्राक्मिया और विकामात्मक एल्फामिया) #</p> <p>ख. आत्म-विमोह स्पेक्ट्रम विकृति</p>	<p># वर्तमान में एमटीडीएन की गंभीरता आंकने के लिए बोर्ड मासिकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, समझता है और इसके लिए अधिक माध्य की आवश्यकता है।</p> <p>40% से कम विकलांगता</p> <p>40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता- परन्तु चयन, गिन्डेक्शन महायता प्राप्त छोटीगिरी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसरचतनात्मक परिवर्तनों की महायता से मूल्यांकन की गई जानाजिन नक्षनता पर आधारित होगा।</p> <p>मानिक दीनारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण मन्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/बोर्ड के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।</p> <p>मानिक दीनारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण मन्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/बोर्ड के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।</p>	<p>80% से अधिक या गंभीर स्वनय या पर्याप्त मंजानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता</p> <p>60% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या मंजानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और/ या यदि व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा एमटीडीएन पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।</p> <p>40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी इच्छियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। गिन्डेक्शन में प्रैक्टिस करने के लिए किटनेम की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जा सकते हैं कि</p>
3.	मानसिक व्यवहार		<p>मानसिक रोग</p>	<p>विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता: 40% से कम (एमटीडीएन के अंतर्गत)</p> <p>मानिक दीनारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण मन्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/बोर्ड के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।</p>	<p>40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी इच्छियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। गिन्डेक्शन में प्रैक्टिस करने के लिए किटनेम की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जा सकते हैं कि</p>

						भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इन्नेमान किया जाने है।
4.	आगे उल्लेखित के कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुल जनक दृष्टि	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. फार्मिनेमिजम			
		ख. रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40%-80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. थैलेमिथिया			
iii. मित्रकाल मैल रोग						
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं		उपर्युक्त में किसी भी मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक अनमर्यादा स्थिति मौजूद है। उपर्युक्त होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संरोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है: $\frac{क + ख (90-क)}{90}$ (जहां क = विकलांगता के % का उच्च मूल्य और ख = विकलांगता के % का निम्न मूल्य या भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिगणित किया गया है।) इस फार्मूले का इन्नेमान बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में बौद्ध विशिष्ट विकलांगताओं के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।	

BOARD OF GOVERNORS IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

No. MCI-34(41)/2018-Med./170045.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", namely: -

- (i) These Regulations may be called the "Regulations on Graduate Medical Education(Amendment), 2019.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997". under the heading of "Admission to the Medical Course-Eligibility Criteria" clause 4(3) shall be substituted as under:

To be eligible for admission to MBBS course, a candidate must have passed in the subjects of Physics, Chemistry, Biology (or Botany and Zoology)/Biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology (or Botany and Zoology)/Biotechnology at the qualifying examination as mentioned in clause (2) of Regulation 4 and in addition must have come in the merit list of "National Eligibility-cum-Entrance Test" for admission to MBBS course. In respect

of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other Backward Classes the minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology (or Botany and Zoology)/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 40% instead of 50%. In respect of candidates with specified disability under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 the minimum marks in qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology/Bio-technology taken together in qualifying examination shall be 45% instead of 50%.

Provided that a candidate who has appeared in the qualifying examination the result of which has not been declared, he/she may be provisionally permitted to take up the National Eligibility-cum-Entrance Test and in case of selection for admission to the MBBS course, he/she shall not be admitted to that course until he fulfils the eligibility criteria under Regulation 4.

5% of the annual sanctioned intake capacity in Government or Government aided higher educational institutions shall be filled up by candidates with benchmark disabilities in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, based on the merit list of 'National Eligibility-cum-Entrance Test'. For this purpose the "Specified Disability" contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 is annexed in Appendix 'G' and the eligibility of candidates to pursue a course in medicine with specified disability shall be in accordance with Appendix 'H'. If the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective Category.

3 In the "Regulations on Graduate Medical Education, 1997", after 7th row of Appendix-'F', the following row shall be added as under:

Sl. No.	Schedule for Admission	Central Counseling		State Counseling
		All India Quota	Deemed + CI	
7A.	Commencement of Academic Session	1 st August		

Dr. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy. General
[ADVT.-III/4/Exty./525/18]

Foot Note: The Principal Regulations namely, "Regulations on Graduate Medical Education, 1997" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India vide Medical Council of India notification dated 4th March, 1997, and amended vide MCI notifications dated 29/05/1999, 02/07/2002, 30/09/2003, 16/10/2003, 01/03/2004, 20/10/2008, 15/12/2008, 22/12/2008, 25/03/2009, 19/04/2010, 07/10/2010, 21/12/2010, 15/02/2012, 29/12/2015, 05/08/2016, 21/09/2016, 10/03/2017, 04/07/2017, 23/01/2018, 06/02/2018 & 21/05/2018.

Appendix "H"

Guidelines regarding admission of students with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 with respect to admission in MBBS

Note 1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 15th June 2017.

2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "Guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)" notified in the Gazette of India by the Ministry of Social Justice and Empowerment [Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*)] on 4th January 2018.

3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.

4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

Sl. No.	Disability Type	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range		
				Eligible for Medical Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for Medical Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for Medical Course
1.	Physical Disability	A. Locomotor Disability,	a. Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability	More than 80%

		including Specified Disabilities (a to f).	b. Cerebral Palsy** c. Dwarfism d. Muscular Dystrophy e. Acid attack victims f. Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.				
			* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at. ** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at. *** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course				
		B. Visual Impairment (*)	a. Blindness b. Low vision	Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%)')	-	Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above)	
		C. Hearing impairment@	a. Deaf b. Hard of hearing	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability	
			(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc. @ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate Medical Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.				
		D. Speech & language disabilityS	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability	
		S It is proposed that for admission to MBBS course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the MBBS course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the MBBS course. Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue MBBS course but beyond that they will neither be eligible to pursue the MBBS course nor will they have any reservation.					
2.	Intellectual disability		a. Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed. Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability	

			b. Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for MBBS course by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing MBBS course by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability; less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	a. Chronic Neurological Conditions	i. Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Parkinsonism			
		b. Blood Disorders	i. Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			ii. Thalassemia			
iii. Sickle cell disease						
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	<p>Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability.</p> <p>Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India</p> $\frac{a + b (90-a)}{90}$ <p>(where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities)</p> <p>is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual</p>		